

पंजाब कैसरी 13/09/2024

गांधी मैमोरियल नेशनल कालेज में कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ ने किया जागरुकता कार्यक्रम

अम्बाला, 12 सितम्बर (बलराम): छावनी स्थित गांधी मैमोरियल नेशनल कालेज में वीरवार को कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम स्मार्ट रूम 2 में सुबह 11 बजे शुरू हुआ। कार्यक्रम का आयोजन कालेज के प्राचार्य डा. रोहित दत्त और कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ के संयोजक डा. सुरेन्द्र कुमार के मार्गदर्शन में किया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बाला के कार्यालय से पैरा-लीगल वालिंटियर एडवोकेट रमनीक ने संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य किया और पोक्सो अधिनियम (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) पर एक व्यावहारिक सत्र दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को इस अधिनियम के तहत प्रदान की गई कानूनी सुरक्षा और बाल यौन अपराधों को रोकने में जागरुकता के महत्व के बारे में शिक्षित करना था।

सत्र के दौरान सहायक प्रोफ़ेसर जसमीता हांडा ने प्रभावी ढंग से मंच का संचालन किया, जिससे कार्यक्रमों का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित हुआ। सहायक प्रोफ़ेसर रीतिका ने तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया, जिन्होंने कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की। सत्र के दौरान लगभग 60 छात्रों ने सक्रिय रूप से चर्चा में भाग लिया, जिससे उनकी कानूनी साक्षरता और पोक्सो अधिनियम की समझ बढ़ी।



गांधी मैमोरियल नेशनल कालेज में कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित जागरुकता कार्यक्रम में भाग लेते विद्यार्थी। (देवदत्त)